न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी –कुसुमलता चौहान, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन :– 91 / 2023 अन्तर्गत धारा 251 'क' Rt Act

अनवान :–

प्रार्थीगण:–

1.कानजीराम 2.गोरधनराम पि.उतमाराम
जाति मेघवाल, निवासी देवाणियों का तला (कापराऊ)
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर।

बनाम

विप्रार्थीगण:–

1.रावताराम 2.सगताराम पि.जलाल 3.फूसाराम पुत्र बूलाराम
4.तीजो पत्नि बूलाराम 5.उम्मेदाराम दतक पुत्र तगा
जाति मेघवाल, निवासी देवाणियों का तला (कापराऊ)
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर।
6.एस.बी.आई.शाखा चौहटन
7.तहसीलदार चौहटन

वकील प्रार्थीगण :– श्री रामजीवन विश्नोई, श्री मोतीराम मेणसा

वकील विप्रार्थीगण :– श्री पवन धारीवाल

निर्णय

दिनांक 24.04.2025

प्रार्थीगण कानजीराम पुत्र उतमाराम वगैरा, जाति मेघवाल,, निवासी देवाणियों का तला (कापराऊ), तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत 251 (क) राजस्थान काश्तकारी / संशोधन अधिनियम के संक्षेप में तथ्य इस [illegible] कि प्रार्थीगण सदभावी काश्तकार है। प्रार्थीगण सं. 1 के खातेदारी का खेत [illegible] (कापराऊ), तहसील चौहटन जिला बाड़मेर में खसरा नं. 97 रकबा 05.3257 हैक्टयर एवं खसरा सं. 586 / 197 रकबा 01.2626 हैक्टयर एवं प्रार्थी सं. 2 के खातेदारी का खेत खसरा सं. 581 / 197 रकबा 06.806[illegible] हैक्टयर का आया हुआ है। उसकी उक्त जोत पर आने जाने के लिए विप्रार्थी सं. 1 व 2 के खेत खसरा सं. 378, 408 / 198 तथा विप्रार्थी सं. 3 व 4 के खेत खसरा सं. 405 / 198, 407 / 198 एवं विप्रार्थी सं. 5 के खसरा सं. 524 / 376 में से चलकर सरकारी रास्ते तक जाने हेतु अन्य कोई रास्ता नहीं है एवं काश्त के समय प्रार्थीगण की जोत के चारों ओर के काश्तकार अपनी अपनी काश्त कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2025.05.07 17:53:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

लेते है। जिससे प्रार्थीगण अपनी जोत में आने जाने से बाधित होता है। अतः प्रार्थीगण को विप्रार्थी सं. 1 व 2 के खेत खसरा सं. 378, 408/198 तथा विप्रार्थी सं. 3 व 4 के खेत खसरा सं 405/198, 407/198 एवं विप्रार्थी सं. 5 के खसरा सं. 524/376 में से रास्ता दिया जावे।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/रजि नोटिस से तलब किया गया। विप्रार्थी सं. 1 से 5 की ओर से अधिवक्ता श्री पवन धारीवाल ने वकालतनामा पेश किया। विप्रार्थी वकील की ओर से आवेदन का जवाब पेश किया गया। उपस्थित अधिवक्ताओं को सुना गया। वकील प्रार्थीगण की ओर से चाहे गये रास्ते के संबंध में तहसीलदार चौहटन से मौका रिपोर्ट मंगवाने का निवेदन किया गया, जिस पर विप्रार्थी वकील द्वारा आपति पेश करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण के लिए निकटतम वैकल्पिक रास्ता जवाब में वर्णितानुसार उपलब्ध है, इसलिए प्रार्थीगण का आवेदन खारीज किया जावे।

पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया । जिसके आधार पर विप्रार्थी वकील की आपति व निकटतम रास्ते का हवाला देते हुए तहसीलदार चौहटन से मौका रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार चौहटन से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई। विप्रार्थी अधिवक्ता ने प्राप्त मौका रिपोर्ट पर आपति करते हुए पुनः मौका रिपोर्ट मंगवाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिस पर उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया, मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। जिससे स्पष्ट होता है कि तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट विधि सम्मत प्राप्त हुई है। अतः पुनः मौका रिपोर्ट मंगवाये जाने का प्रार्थना पत्र खारीज किया जाता है।

पत्रावली पेश हुई । उभयपक्ष अधिवक्ताओं की ओर से ब्रिफ होल्डर अधिवक्ता उपस्थित विप्रार्थीगण अधिवक्ता की ओर से बहस हेतु अवसर देने निवेदन किया गया। जिस पर प्रार्थीगण अधिवक्ता ने आपति करते हुए कथन किया कि विप्रार्थीगण आवेदन को लम्बित करना चाहते है अतः बहस आज ही सुनी जावे।

अतः बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दिनाक 24.04.2025 मुकर्रर की गई। दिनांक 24.04.2025 को पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री रामजीवन विश्नोई ने वकालतनामा पेश किया । विप्रार्थी वकील उपस्थित हुए। विप्रार्थी वकील की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी मय फहरिस्त दस्तावेज सूची एव प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम [illegible] सीपीसी तथा प्रार्थना पत्र वास्ते एकतरफा आदेश न करने के क्रम में पेश किये गये।

प्रार्थीगण वकील की ओर से प्रार्थना पत्र आदेश [illegible] नियम 09 सीपीसी का जवाब पेश किया गया और विप्रार्थी वकील द्वारा पेश [illegible] किया कि विप्रार्थी वकील का उद्देश्य मात्र और मात्र आवेदन को [illegible] प्रार्थना पत्र खारीज किये जावे। मूल आवेदन का आदेश सुनाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2025.05.07 17:53:51 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय द्वारा विप्रार्थी वकील की ओर से पेश प्रार्थना पत्रो का अवलोकन किया गया। जिससे स्पष्ट होता है कि विप्रार्थी अधिवक्ता आवेदन को लम्बित करने के उद्देश्य से बार बार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहे है, अतः विप्रार्थी वकील द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151

सीपीसी एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 09 सपठित धारा 151 सीपीसी तथा प्रार्थना पत्र वास्ते एकतरफा आदेश न करने के खारीज किये जाते है।

पत्रावली के अवलोकन एवं बहस पर मनन के आधार पर एवं तहसीलदार चौहटन की ओर से पेश रिपोर्ट के आधार पर स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण को रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता है और यह केवल सुविधा जनक उपभोग के लिए नहीं है। इसका कोई अन्य विकल्प नहीं है। जैसा कि मौका रिपोर्ट में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि प्रार्थीगण के खेत से गांव, आबादी, बस स्टेशन , स्कूल आदि तक आवागमन का कोई अन्य रास्ता नहीं है।

अतः प्रार्थीगण की मांग उचित प्रतीत होती है और प्रार्थीगण को जो रास्ता दिया जाना है वो न्याय संगत है। प्रार्थीगण को जो रास्ता दिया जाना है उसका विवरण निम्नानुसार है–

क्र. सं.	खसरा संख्या	रकबा हैक्टयर में	किस्म	रास्ते की चौड़ाई फीट में	रास्ते हेतु समर्पित भूमि का रकबा	मौजा	खातेदार का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	456/196	06.4750	बा.दो.	25 फीट	00.4282	देदाणियों का तला	गवलाराम, सगताराम पि. जसाराम, कौम मेगवाल
2	457/196	07.7700	बा.दो.		00.1613		फूसाराम पुत्र बुलाराम, तीजो पत्नि बुलाराम, जाति मेगवाल

प्रस्तुत मौका रिपोर्ट मय फर्द एवं संलग्न आंशिक नक्शा ट्रेस व फर्द मौका परिशिष्ट A अनुसार प्रार्थीगण को उपरोक्त खसरान के अंदर से जो रास्ता दिया जाना है वह आंशिक नक्शा में बिन्दु A से B से C हरा रंग से दर्शाया गया रास्ता प्रार्थीगण को दिया जाता है । *तहसीलदार चौहटन की ओर से प्रस्तावित उपरोक्त रास्ता में दो रोहिड़ा के पेड़ बताये गये जिसकी अनुमानित कीमत दो–दो हजार रूपये बताई गई* और इसके अलावा प्रस्तावित नए मार्ग में कोई मकान व कीमती पेड़ और न ही किसी प्रकार का केर/टांका बना हुआ है। अतः *तहसीलदार उक्त प्रस्तावित रास्ता में रोहिड़ा के पेड़ों का नियमानुसार निस्तारण करने के उपरान्त उक्त रास्ता का रेकर्ड में अंकन करेगा।*

राजस्थान काश्तकारी (सरकारी / [illegible]) नियम 201[illegible] के अन्तर्गत प्रस्तावित अध्याय 12 के नियम 70(11) (a) में स्पष्ट है कि अगर सहमति [illegible] का समाधान नहीं होता है तो जिला स्तरीय कमेटी / डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुना राशि की दर से प्रभावित पक्षकार को क्षतिपूर्ति के रूप में राशि दी जाकर प्रार्थी को रास्ता दिया जा सकता है। और अन्य कोई पेड़ फसल या संरचना प्रभावित रास्ते में हो तो उनकी क्षति की पूर्ति हेतु वास्तविक नुकसान के आधार पर राशि देय होगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2025.05.07 17:53:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

प्रस्तुत आवेदन में प्रस्तावित नए रास्ते में ***दो रोहिड़ा के पेड़*** के अलावा कोई मकान व या अन्य कोई संरचना नहीं है। अतः प्रभावित (पक्षकारों) / विप्रार्थीगण को नए रास्ते में समाविष्ट होने वाली उनकी भूमि के रकबे की क्षतिपूर्ति राशि के रूप में प्रार्थीगण द्वारा देय होगी और प्रार्थीगण द्वारा प्रभावित पक्षकारों को दी जाने वाली राशि नए रास्ते के लिए प्रस्तावित समाविष्ट भूमि के रकबे की डीएलसी द्वारा निर्धारित दर से दौगुणा राशि के बराबर होगी। डीएलसी द्वारा निर्धारित निर्णय दिनांक की ही मान्य होगी और इसी आधार पर प्रार्थीगण द्वारा विप्रार्थीगण / प्रभावित पक्षकारों को भुगतान करना अनिवार्य होगा।

प्रार्थीगण के आवेदन की गंभीरता व आत्यांतिक आवश्यकता को मध्यनजर रखते हुए उनका आवेदन अंतर्गत धारा 251 (ए) की उपधारा (1) – (b) राजस्थान काश्तकारी संशोधित अधिनियम 2010 को स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट मय फर्द एवं सलंग्न परिशिष्ट 'A' के आंशिक नक्शा ट्रेस में बरंग हरा बिन्दु A से B से C 25 फीट चौड़ा रास्ता प्रार्थीगण के पक्ष में दिए जाने का आदेश दिया जाता है। मौका रिपोर्ट मय फर्द व नक्शा निर्णय का अनिवार्य भाग रहेंगे। तथा प्रार्थीगण को उपरोक्त खसरान में से प्रस्तावित नया रास्ता दिये जाने के लिए निम्नलिखित शर्तों की पालना अनिवार्य होगी :–

1. तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में सलंग्न परिशिष्ट 'A' के मौका नक्शा ट्रेस में बरंग हरा बिन्दु A से B से C दर्शाया गया प्रस्तावित नए रास्ते में समाविष्ट होने वाली कुल भूमि के रकबे की गणना कर निर्णय दिनांक को प्रचलित (लागू) डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा राशि की गणना करके तहसीलदार द्वारा सात दिवस में न्यायालय में प्रस्तुत की जायेगी। जिसमें प्रत्येक पक्षकार को देय राशि की अलग अलग गणना की जायेगी।

2. तहसीलदार द्वारा गणना उपरान्त बताई गई राशि का भुगतान प्रार्थीगण द्वारा प्रभावित पक्षकारों (विप्रार्थीगण) को नए रास्ते में समाविष्ट होने वाली उनकी भूमि के रकबे की क्षतिपूर्ति राशि के रूप में किया जो डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा के बराबर होगी।

3. प्रार्थीगण द्वारा नए प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के कुल रकबे हेतु निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि विप्रार्थीगण (प्रभावित पक्षकारों) को प्रदान करने के उपरान्त ही तहसीलदार द्वारा भौतिक रूप से नये रास्ते का सीमांकन तथा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जायेगा। तहसीलदार द्वारा इस बात का विनि[illegible] जाएगा कि विप्रार्थीगण को क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त हो चुकी है। [illegible] होकर क्षतिपूर्ति राशि लेने से इनकार करता हो तो प्रार्थी[illegible] को प्रस्तुत की जावेगी। क्षतिपूर्ति राशि तहसील में जमा करने के उपरान्त ही तहसीलदार द्वारा भौतिक रूप से नये रास्ते का सीमांकन तथा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जायेगा। जिसे तहसीलदार द्वारा विप्रार्थीगण को वितरित करने की कार्यवाही की जावेगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2025.05.07 17:53:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

4. नए प्रस्तावित 25 फीट रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जाएगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में '**रास्ता**' के रूप में अभिलिखित की जायेगी। जो कि सार्वजनिक उपयोग के लिए प्रयुक्त होगा।

5. प्रार्थीगण को उक्त 25 फीट चौड़े रास्ते में केवल रास्ते हेतु प्रयुक्त अधिकारों के अतिरिक्त कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं होंगे।

6. रास्ते के रूप में समाविष्ट भूमि का रकबा संबंधित खसरों में से कम करते हुए राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाएगा।

7. प्रार्थीगण को दिये जाने वाले उक्त रास्ता में तहसीलदार द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावित रास्ता में दो रोहिड़ा के पेड़ बताये गये ,जिसकी अनुमानित कीमत दो–दो हजार रूपये बताई गई , तहसीलदार उक्त प्रस्तावित रास्ता में रोहिड़ा के पेड़ों का नियमानुसार निस्तारण करने के उपरान्त उक्त रास्ता का रेकर्ड में अंकन करेगा।

उक्त शर्तों की पालना के अध्याधीन ही प्रार्थीगण को नया तथा 25 फीट चौड़ा रास्ता तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट मय सलंग्न नक्शा परिशिष्ट 'अ' में बरंग हरा दिए जाने का आदेश आज दिनांक 24.04.2024 को दिया जाता है। अतः नियमानुसार निर्णय पालना हेतु तहसीलदार चौहटन को लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 24.04.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली फैसला शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो। संख्या से कम हो।

(कुसुमलता **चौहान**)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

Signature Not Verified

Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2025.05.07 17:53:51 IST
Reason: SelfAttested

परिशिष्ट A

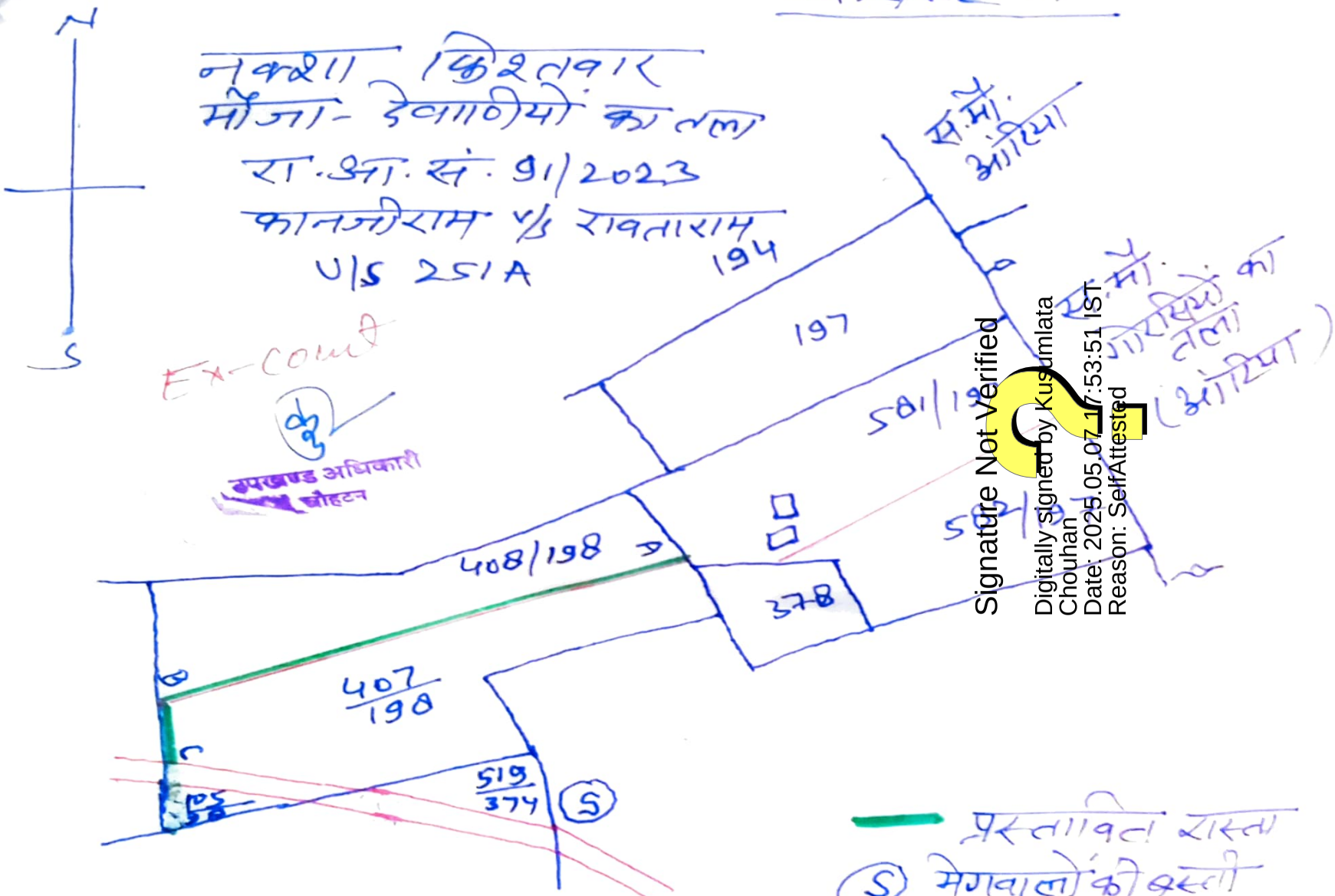

नक्शा किश्तवार
मौजा- देवाणियों का तला
रा.अ.सं. 91/2023
कानजीराम v/s रावताराम
U/S 251A

प्रस्तावित रास्ता
(S) मेगवालों की बस्ती स्कूल
डामर सड़क

उपखण्ड अधिकारी चौहटन

10/12/24
कविता बैरवा
पटवारी (भू.अ.)
तहसील - चौहटन

ILR-चौहटन

तहसीलदार (भू.अ.) चौहटन

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2025.05.07 17:53:51 IST
Reason: SelfAttested